(TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA PART-I SECTION-1)

Government of India/Bharat Sarkar
Ministry of Education/Siksha Mantralaya
Department of Higher Education/Uchchatar Siksha Vibhag
(ICR Division)

Shastri Bhavan, New Delhi
Dated: 06th November, 2025

NOTIFICATION

No. 9-16/2025-U.3(A)- Whereas, an online application was submitted by Krishna Charitable Society for conferment of Institution deemed to be University status under general category to KIET Group of Institutions, Ghaziabad, Delhi-NCR, Ghaziabad-Meerut Road Ghaziabad, Uttar Pradesh -201206 in the name of Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET) under Section 3 of the UGC Act, 1956.

2. **And whereas**, UGC, vide letter dated 16.06.2025, informed that the application was examined through its Expert Committee as per the UGC (Institutions deemed to be Universities) Regulations, 2023. The Committee recommended for conferment of Institution deemed to be University status (general category) to Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Delhi-NCR, Uttar Pradesh with certain conditions

3. **And whereas**, the recommendations of the UGC Expert Committee were considered and approved by the Commission in its 590th meeting (Item No. 2.12) held on 14.05.2025.

4. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Ministry of Education, on the advice of UGC, hereby declares Institution deemed to be University status under general category to KIET Group of Institutions, Ghaziabad in the name of Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Delhi-NCR, Uttar Pradesh. This approval is further subject to the following conditions:

i. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh, shall follow the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 and its amendments, from time to time.

ii. All the undertakings given by the sponsoring body shall be strictly followed by the deemed to be University.

iii. The sponsoring society shall permanently maintain and submit documentary evidence for creation of corpus fund of Rs.25 Crore in the name of Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh as per the Regulations, as amended from time to time.

iv. There shall be no diversion of assets or funds/revenues of the Institution deemed to be University/or of its constituent teaching units, without prior permission of the UGC and Ministry of Education.

पृ.त.ओ.

v. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall not engage or indulge in any activities that are of commercial and profit making in nature.

vi. The academic programmes to be offered at Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall conform to the norms and standards prescribed by the UGC and the Statutory Councils/Bodies concerned.

vii. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall align its course with National Education Policy-2020.

viii. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall take all the required steps to get all the eligible academic courses/programmes rated for valid accreditation by National Board of Accreditation (NBA) and the Institute to get valid accreditation by National Assessment and Accreditation Council (NAAC), as the case may be, in terms of the provisions as contained in the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023, as amended from time to time.

ix. All the prescribed norms and procedures of the Statutory Councils concerned in the matter of admission of students, intake capacity of students, renewal of approval to the academic courses / programmes, revision of intake capacity of students, starting of new courses / programmes, etc. shall continue to be in force, and shall be adhered to by Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh.

x. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall submit MoA in accordance with UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2023 to the UGC. Further, as and when necessary, it shall update or revise or modify its MoA / Rules, as per the provisions of the prevailing Regulations.

xi. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall follow the fee structure as per the Rules and Regulations of the UGC and relevant Statutory Councils.

xii. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall participate in annual Indian rankings issued by National Institutional Ranking Framework (NIRF) of this Ministry.

xiii. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh shall compulsorily create Academic Bank of Credits (ABC), identities of their students and upload their credit score in digital lockers and ensure that the credit scores are reflected in ABC Portal and adopt Samarth e-Gov.

xiv. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh should strengthen Industry-academia linkages.

मुकेश

xv. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh should endeavor to be a multi-disciplinary institution with inter-disciplinary programmes.

xvi. Krishna Institute of Engineering & Technology (KIET), Ghaziabad, Uttar Pradesh should start the Ph.D. programme and improve the enrollment of PG students.

(Purnendu Kishore Banerjee)
Joint Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 3432

The Manager,
Government of India Press,
Minto Road, New Delhi – 110002

Copy forwarded to:

1. The Secretary, University Grants Commission, Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi.
2. The Secretary, Krishna Charitable Society, 13 KM Stone, Ghaziabad-Meruth Road, Ghaziabad -201 206 (U.P.)
3. The Principal, KIET Group of Institutions, Ghaziabad, Delhi-NCR, Ghaziabad-Meerut Road Ghaziabad, Uttar Pradesh -201206.
4. The Secretary, Department of Technical & Higher Education, Government of Uttar Pradesh.
5. The Member Secretary, All India Council for Technical Education (AICTE), Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi-110070.
6. The Secretary, Pharmacy Council of India, NBCC Centre, 3rd Floor, Plot No.2, Community Centre, Maa Anandamai Marg, Okhla Phase - I, New Delhi - 110020.
7. Press Information Bureau, Shastri Bhawan, New Delhi.
8. The Secretary General, Association of Indian Universities, AIU House, 16, Kotla Marg, New Delhi-2.
9. Web Master, Department of Higher Education, Shastri Bhavan, New Delhi. It is requested that CMIS Unit may kindly be instructed to display the Notification on the website (Home site) of the Department.
10. Guard file / Notification file.

(Jyoti Ranjan)
Under Secretary to the Government of India
Tel: +91 11 2338 1578

(भारत के राजपत्र भाग-I खंड-1 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

(आईसीआर प्रभाग)

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

दिनांक : 06 नवंबर, 2025

<u>अधिसूचना</u>

सं. 9-16/2025-यू.3(ए)- जबकि, कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी द्वारा यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी) के नाम से केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर, गाजियाबाद-मेरठ रोड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201206 को सामान्य श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने के लिए एक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किया गया था।

2. **और जबकि**, यूजीसी ने दिनांक 16.06.2025 के पत्र के माध्यम से सूचित किया कि यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार उसकी विशेषज्ञ समिति द्वारा आवेदन की जांच की गई थी। समिति ने कुछ शर्तों के साथ कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश को समविश्वविद्यालय (सामान्य श्रेणी) का दर्जा देने की सिफारिश की थी।

3. **और जबकि**, यूजीसी विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों पर आयोग द्वारा दिनांक 14.05.2025 को आयोजित अपनी 590वीं बैठक (मद संख्या 2.12) में विचार किया गया और अनुमोदित किया गया।

4. **अब, इसलिए**, यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी की सलाह पर, एतदद्वारा कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश के नाम से केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद को सामान्य श्रेणी के तहत समविश्वविद्यालय का दर्जा देने की घोषणा करता है। यह अनुमोदन निम्नलिखित शर्तों के अध्यधीन है:

i. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 और समय-समय पर इसके संशोधनों का पालन करेगा।

पृ.क.त

ii. प्रायोजक निकाय द्वारा दिए गए सभी वचन-पत्रों का समविश्वविद्यालय द्वारा कड़ाई से पालन किया जाएगा।

iii. प्रायोजक सोसाइटी समय-समय पर संशोधित विनियमों के अनुसार कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश के नाम पर 25 करोड़ रुपये की कॉर्पस निधि के निर्माण के लिए दस्तावेजी साक्ष्य का स्थायी रूप से अनुरक्षण करेगी और प्रेषित करेगी।

iv. यूजीसी और शिक्षा मंत्रालय की पूर्व अनुमति के बिना, सम विश्वविद्यालय संस्थान/या उसकी घटक शिक्षण इकाइयों की परिसंपत्तियों या निधियों/राजस्व का कोई अन्यत्र उपयोग नहीं किया जाएगा।

v. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश किसी भी ऐसी गतिविधि में शामिल या लिप्त नहीं होगा जो वाणिज्यिक और लाभ कमाने वाली प्रकृति की हो।

vi. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में संचालित किए जाने वाले शैक्षणिक कार्यक्रम यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों/निकायों द्वारा निर्धारित मानदंडों और मानकों के अनुरूप होंगे।

vii. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश अपने पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अनुरूप बनाएगा।

viii. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश समय-समय पर संशोधित यूजीसी (सम विश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 में निहित प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड (एनबीए) द्वारा सभी पात्र शैक्षणिक पाठ्यक्रमों/कार्यक्रमों को वैध मान्यता के लिए मूल्यांकित कराने और संस्थान को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद (एनएएसी) द्वारा वैध मान्यता प्राप्त कराने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।

ix. छात्रों के प्रवेश, छात्रों की प्रवेश क्षमता, शैक्षणिक पाठ्यक्रम/कार्यक्रम के अनुमोदन के नवीनीकरण, छात्रों की प्रवेश क्षमता में संशोधन, नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम शुरू करने आदि के मामले में संबंधित सांविधिक परिषदों के सभी निर्धारित मानदंड और प्रक्रियाएं लागू रहेंगी और कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश द्वारा उनका पालन किया जाएगा।

x. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश, यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थान) विनियम, 2023 के अनुसार अपना एमओए यूजीसी

पूनिरु

को प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होगा, यह प्रचलित विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अपने एमओए/नियमों को अद्यतित या संशोधित करेगा।

xi. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषदों के नियमों और विनियमों के अनुसार शुल्क संरचना का पालन करेगा।

xii. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश इस मंत्रालय के राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क (एनआईआरएफ़) द्वारा जारी वार्षिक भारतीय रैंकिंग में भाग लेगा।

xiii. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को अनिवार्य रूप से अकादमिक बैंक ऑफ क्रेडिट (एबीसी) बनाएगा, अपने छात्रों की पहचान करेगा और उनके क्रेडिट स्कोर को डिजिटल लॉकर में अपलोड करेगा तथा यह सुनिश्चित करेगा कि क्रेडिट स्कोर एबीसी पोर्टल में प्रदर्शित हों और समर्थ ई-गवर्नेंस को अंगीकृत करेगा।

xiv. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को उद्योग-अकादमिक संबंधों को सुदृढ़ करेगा।

xv. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को अंतर-अनुशासनात्मक कार्यक्रमों के साथ एक बहु-अनुशासनात्मक संस्थान बनने का प्रयत्न करेगा।

xvi. कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (केआईईटी), गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश को पीएचडी कार्यक्रम शुरू करेगा और पीजी छात्रों के नामांकन में सुधार करेगा।

पूकिबनर्जी

(पूर्णेंदु किशोर बनर्जी)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 3432

प्रबंधक,
भारत सरकार मुद्रणालय,
मिंटो रोड, नई दिल्ली – 110002

प्रति अग्रेषित:

1. सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली।
2. सचिव, कृष्णा चैरिटेबल सोसाइटी, 13 केएम स्टोन, गाजियाबाद-मेरठ रोड, गाजियाबाद - 201206 (यूपी)
3. प्रधानाचार्य, केआईईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, गाजियाबाद, दिल्ली-एनसीआर, गाजियाबाद-मेरठ रोड गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश -201206
4. सचिव, तकनीकी एवं उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार।
5. सदस्य सचिव, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (एआईसीटीई), नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली-110070
6. सचिव, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, एनबीसीसी सेंटर, तृतीय तल, प्लॉट नंबर 2, सामुदायिक केंद्र, माँ आनंदमई मार्ग, ओखला फेज-I, नई दिल्ली - 110020.
7. प्रेस सूचना ब्यूरो, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. महासचिव, भारतीय विश्वविद्यालय संघ, एआईयू हाउस, 16, कोटला मार्ग, नई दिल्ली-2
9. वेब मास्टर, उच्चतर शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली। अनुरोध है कि वे इस अधिसूचना को विभाग की वेबसाइट (होम साइट) पर प्रदर्शित करने के लिए सीएमआईएस इकाई को निर्देश दें।
10. गार्ड फाइल/ अधिसूचना फाइल।

रंजन

(ज्योति रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार
दूरभाष: +91 11 2338 1578